भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2642
सोमवार, 17 मार्च, 2025 / 26 फाल्गुन, 1946 (शक)

सामाजिक न्याय के लिए वैश्विक गठबंधन

2642. श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे:
श्रीमती भारती पारधी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ली में सामाजिक न्याय के लिए वैश्विक गठबंधन के तत्वावधान में सामाजिक न्याय पर क्षेत्रीय वार्ता आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें किन-किन मामलों पर चर्चा हुई;

(ग) नई दिल्ली में सामाजिक न्याय पर उक्त क्षेत्रीय वार्ता आयोजित करने के प्राथमिक लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) यह वार्ता सामाजिक न्याय के लिए वैश्चिक गठबंधन के समग्र उद्देश्यों में किस प्रकार सहायक है;

(ङ) उक्त वार्ता के आयोजन में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका का ब्यौरा क्या है;

(च) एशिया प्रशांत समन्वय समूह में भारत की भूमिका का ब्यौरा क्या है; और

(छ) विगत कुछ वर्षों में सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा के विस्तार हेतु क्या कार्रवाई की गई है और इस संबंध में क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री कारान्दलाजे)

(क) से (छ): अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के सहयोग से श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 24-25 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली में सामाजिक न्याय के लिए वैश्विक गठबंधन (ग्लोबल कोएलिशन फॉर सोशल जस्टिस (जीसीएसजे)) के तहत दो दिवसीय 'सामाजिक न्याय पर क्षेत्रीय वार्ता' की मेजबानी की। भारत एशिया-पेसिफिक क्षेत्र के लिए जीसीएसजे के समन्वय समूह का सदस्य है। क्षेत्रीय वार्ता का आयोजन 'समावेशी और सतत समाज के लिए जिम्मेदार व्यवसाय' विषय के तहत किया गया था। इस आयोजन में वैश्विक गठबंधन भागीदारों, सरकारों, नियोक्ताओं और कामगार संगठनों, शिक्षाविदों, उद्यमों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के विशेषज्ञों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

इस कार्यक्रम के दौरान, प्रतिभागियों ने उद्यमों के सतत विकास के संचालन के लिए युवाओं को सशक्त बनाने, अनौपचारिक कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा का विस्तार, कामगारों के कल्याण की सुरक्षा

जारी..2/-

में जिम्मेदार व्यावसायिक प्रथाओं, वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में मर्यादित काम को बढ़ावा देने और मर्यादित कार्य और इक्विटी के लिए एआई का उपयोग करने के लिए मानव केंद्रित दृष्टिकोण संबंधी रणनीतियों पर चर्चा की।

कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने जीवन और निःशक्तता कवर, स्वास्थ्य और प्रसूति प्रसुविधा, वृद्धावस्था संरक्षण आदि से संबंधित मामलों पर विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं कार्यान्वित की हैं। इस तरह के प्रयासों के कारण, आईएलओ की विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट वर्ष 2024-26 के अनुसार, भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज वर्ष 2021 में 24.4% से दोगुना होकर वर्ष 2024 में 48.8% हो गया। इसके अतिरिक्त, 65% जनसंख्या, सरकार की योजनाओं द्वारा कम से कम एक सामाजिक संरक्षण लाभ (नकद अथवा वस्तु के रूप में) द्वारा कवर की जाती है।

******